रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

#### भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-28032022-234560 SG-DL-E-28032022-234560

#### असाधारण EXTRAORDINARY

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

| सं. 210] | दिल्ली, शनिवार, मार्च 26, 2022/ <del>वै</del> त्र 5, 1944 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 578 |
|----------|---|----------------------------|
| No. 210] | DELHI, SATURDAY, MARCH 26, 2022/CHAITRA 5, 1944           | [N. C. T. D. No. 578       |

#### भाग IV PART IV

#### राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

#### दिल्ली विधान सभा सचिवालय

#### अधिसूचना

दिल्ली. 26 मार्च. 2022

**फा. सं. 21/11/Apprn. 2/2022//LAS-VII/Leg./3641.**—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

## दिल्ली विनियोग(संख्या 2) विधेयक, 2022

(2022 का विधेयक संख्या 04)

(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 26 मार्च, 2022 को पुरः स्थापित किया गया)

वर्ष 2021–2022 स`संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

2102 DG/2022 (1)

संक्षिप्त शीर्षक

₹ 468,22,00]000 / —का वर्ष 2021—2022 में राष्ट्रीय 2. राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त

- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 2)अधिनियम 2022 है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम(5) में विनिर्दिष्ट से अधिकन हीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए चार सौ अढ़सठ करोड बाईस लाख रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम(2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2021–2022 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगी।
- 3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

# अनुसूची (धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(₹ हजार में) निम्नलिखित से अनाधिक राशियां

| अनुदान<br>संख्या | सेवाएं और प्रयोजन         |        | विधान सभा<br>द्वारा अनुदत्त | संचित निधि<br>पर भारित | योग     |
|------------------|---------------------------|--------|-----------------------------|------------------------|---------|
| I                | II                        |        | III                         | IV                     | V       |
| 2                | सामान्य प्रशासन           | राजस्व | 300                         | 0                      | 300     |
| 3                | न्याय प्रशासन             | राजस्व | 250                         | 90                     | 340     |
| 4                | वित्त                     | राजस्व | 450                         | 0                      | 450     |
| 5                | गृह                       | राजस्व | 200                         | 0                      | 200     |
|                  | _                         | राजस्व | 1000                        | 0                      | 1000    |
| 6                | शिक्षा                    | पूँजी  | 850000                      | 0                      | 850000  |
|                  | चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | राजस्व | 600                         | 720                    | 1320    |
| 7                | विक्ति १५ जन स्वस्थि      | पूँजी  | 100                         | 0                      | 100     |
| 8                | समाज कल्याण               | राजस्व | 1550                        | 0                      | 1550    |
| 9                | उद्योग                    | राजस्व | 200                         | 0                      | 200     |
| 10               | विकास                     | राजस्व | 3822340                     | 0                      | 3822340 |
|                  |                           | पूँजी  | 300                         | 0                      | 300     |

### विनियोजन

|    | योग                       | पूजी   | 1400<br><b>4680290</b> | 0<br><b>1910</b> | 1400<br><b>4682200</b> |
|----|---------------------------|--------|------------------------|------------------|------------------------|
| 11 | शहरी विकास और लोक निर्माण | राजस्व | 1600                   | 1100             | 2700                   |

#### उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) के साथ पिठत धारा 30 (1) (क) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारितव स्वीकृत व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक धनराशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग अधिनियम 2022, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

मनीष सिसोदिया उप-मुख्य मंत्री / वित्तमंत्री

दिल्ली, 26 मार्च, 2022

#### विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन

दिल्ली विनियोग(संख्या 2) विधेयक, 2022 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।

राज कुमार, सचिव

# DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NOTIFICATION

Delhi, the 26th March, 2022

F. No. 21/11/Apprn./21/2022/LAS-VII/Leg./3641.—The following is published for general information.—

#### THE DELHI APPROPRIATION (No. 2) BILL, 2022

BILL No. 04 of 2022

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 26 March, 2022)

#### A

#### **BILL**

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the ConsolidatedFund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2021-2022.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territoryof Delhi in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

- 1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.2) Act, 2022.
- Issue of ₹468,22,00,000/-from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2021-2022.
- 2. From andoutof the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column(5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of **Rupees four hundred sixty eight crore twenty two lakh only** towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2021-2022in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

#### THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(₹ In thousand)

#### SUMS NOT EXCEEDING

| Demand<br>No. | Services and Purposes                 |         | Voted by the<br>Legislative<br>Assembly | Charged on the<br>Consolidated<br>Fund | Total   |
|---------------|---------------------------------------|---------|---|--|---------|
| I             | II                                    |         | III                                     | IV                                     | V       |
| 2             | General Administration                | Revenue | 300                                     | 0                                      | 300     |
| 3             | Administration of Justice             | Revenue | 250                                     | 90                                     | 340     |
| 4             | Finance                               | Revenue | 450                                     | 0                                      | 450     |
| 5             | Home                                  | Revenue | 200                                     | 0                                      | 200     |
| 6             | Education                             | Revenue | 1000                                    | 0                                      | 1000    |
|               |                                       | Capital | 850000                                  | 0                                      | 850000  |
| 7             | Medical and Public Health             | Revenue | 600                                     | 720                                    | 1320    |
|               |                                       | Capital | 100                                     | 0                                      | 100     |
| 8             | Social Welfare                        | Revenue | 1550                                    | 0                                      | 1550    |
| 9             | Industries                            | Revenue | 200                                     | 0                                      | 200     |
| 10            | Development                           | Revenue | 3822340                                 | 0                                      | 3822340 |
|               |                                       | Capital | 300                                     | 0                                      | 300     |
| 11            | Urban Development and Public<br>Works | Revenue | 1600                                    | 1100                                   | 2700    |
|               |                                       | Capital | 1400                                    | 0                                      | 1400    |
|               | Total                                 |         | 4680290                                 | 1910                                   | 4682200 |

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Appropriation (No2) Bill,2022 is introduced in pursuance of sub-section (1) of section 29 read with clause (a) of sub-section (1) of section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act,1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants voted by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2021-2022.

MANISH SISODIA, Dy. Chief Minister/Finance Minister

#### MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Appropriation (No.2) Bill, 2022 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.

RAJ KUMAR, Secy.